TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRA ORDINARY PART-II - SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 15Th January, 1999.

NOTIFICATION INCOME-TAX

- S.O. (E) -- In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rule further to amend the Income-tax Rule, 1962, namely,-
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (2nd Ame notinent) Rules, 1999;
 - (2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962;
- (a) in rule 18BBA, after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely,-

- "(1A) The report of the audit of the accounts of an assessee which is required to be furnished under clause (i) of sub-section (2) of section 80H1IBA shall be in Form No.10CCAA."
- (b) in Appendix II after form No. 10CCA, the following shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 10CCAA |See rule=18BBA(1A)|

Audit report under section 80HIIBA of the Income-tax Act, 1961

I/We have examined the balance sheet of Shri
/M/S
(name and address of assessee with Permanent Account Number) as at
office at and branches at
I am/ We are satisfied that Shri / M/s

I/We certify that all expenses, wherever mentred, for the purposes of the said business have been debited to the profit and loss account of the said business and that expenses, if any, incurred by the assessee which are common to the said business and my other business of the assessee have been apportioned on a reasonable basis and appropriate debits have been made to the profit and loss account of the said business.

I/We have obtained all the information and explanations which to the best of my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches in respect of the aforesaid business visited by

me/us so far as appears from my/our examination of books, and proper returns adequate for the pruposes of audit have been received from branches not visited by me/us subject to the comments given below:

In my/our opinion and to the best of my/our information and according to explantions given to me/us, the said accounts give a true and fair view -

	ž.		
(i) (ii)	In the case of the balance sheet, of the state of affairs of the aforesaid business as at		
	3		
		*	
		8	
Place			
Dated		n!	
		Signature	
	ä	Accountant	

Notes:

- This report is to be given by :-
- (i) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered AccountantsAct, 1949 (38 of 1949); or
- (ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions in sub-section (2) of section 226 of the Comapnies Act, 1956 (1 of 1956) entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State.
- 2. where any of the matter stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reason therefor."

F.No.142/76/98-TPL

SUNITESRIVASTAVA

Notification No. 10770 Under Secretary to the Government of India

The principal rules were published vide notification No. S.O. 969 (E) dated 26.3.1962 and were last amended vide notification No. S.O. 13 (E) dated & the summary, 1999.

भारत के राजण्य, अनाधारण, भाग 2, खंड 3. उपर्हेड हैं। हैं भे पुकारानार्थ।

> भारत सरकार वित्त मैत्रालय राजस्क विभाग १केन्द्रीय प्रत्येक्ष-कर कोर्ड}

> > *** नई दिल्ली, तारीस 15 जमवरी, 1999

अधिसूचना आय-कर

काठबाठ हैं बहुँ - केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 है। 1961 का 43 की धारा 295 द्वारा प्रयत्त सिवतथा का प्रयोग करते हुए, अधिकर नियम, कि 1962 का और सीपोधन करते के लिए निम्नलियित नियम बनाती है, अर्थात:-

- । । । इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर दिस्तां संशोधन। नियम, 1999 है:
- १२१ ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीस को प्रबृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 भे, -

के प्रचात् निम्निलिखित जैत:स्थापित निया जाएगा, अथाद :-

"होक कि विश्वी निशारिती के लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जो धारा 80जजबक की उपधारा हु2 है के ग्रंड है। है के अधीन पेश की जानी जोपेक्षित है, प्ररूप सैंठ 10गगकक में होगी". 1

श्रा परिशाष्ट 2 में, प्रत्य सँ० 10गमक के पश्चात निम्निनिधित कीत:स्थापित किया जाएगा, अभात् :-

> "मुरूप सैं० 10गगकक | हीनसम 18सक्कोशको देखिए हैं

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जुजराक के अवीन रीपरीक्षा नियमें

केत जो	िस्यतं धें के तुलन-पत्र
तथा उस दिन को समाप्त होने नाली	अवधि के लिए लाभ और
हाँनि लेखा की जो इड़	पर िस्थल मुख्य
कायां लिय तथा	ुपर विभव गायाओं में
रिंधी गई लेखा बहियों के अनुसार है,	जाँव करली है।

मरा / इमारा यह समाधान होगया है कि बी/ मेसर्स______ ने जिस्स निव्विदा के आधार पर,
जो किस्स बैंक हारा सहायता प्राप्त है निधारिती की दी गई
विसी ख़ाबासन परियोजन। के निष्पादन से च्युनपन्न लाभ गार विभिन्नाभ की बासत प्राक्त लेसा रसे बुर है।

में / सम यह प्रमाणित करता है / करते है कि सभी च्यय को, जो उन्न कारबार के प्रयोजनों के लिए उद्भुत हुआ है, उन्न कारबार के लाभ और हानि लेखा में बिकलित कर दिया एया है तथा बह च्यय जो निधारितों हारा उपगत होता है, यदि कोई है, और जो उन्न कारबार में सामान्य रूप से है तथा जो निधारिती के जन्य कारबार से उद्भुत होता है, युक्तियुक्त डाधार पर आबीटत कर दिया गया है और उसकी उन्न कारबार के लाभ और हानि लेखा में समुच्ति रूप से विकलित कर स दिया गया है।

मैंन / हमने थे सभी जानकारी और रपष्टीकरण अभिग्राध्त कर नियं है जो मेरे क्षेड्र / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और किरवास के क्ष्मार लेखा परीक्षा के प्रयोजनी के लिए अनिवार्य थे। मेरी / हमारी राय में, मेरे / हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए एप्युक्त कारबार की बाक्त गुरुय कार्यालय /शासाओं द्वारा समृच्ति लेखा बहिया, जहाँ तक विषयों और समृच्ति जिल्हरिष्यों की जांच से मुद्दे / हमें प्रतीत होता है, निम्निजिस्त टिप्पणियों के अधीन

मेरी / हमारी राय में और मेरी / हमारी सर्जात्तम जानकारी तथा मुझे / हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखा निम्निलिसित की बाब्स सही और भूज चित्र प्रस्तुत करता है .-

११ तुलन पत्र की दशा में, ----- पर स्थित उपर्युक्त कारकार के कार्य की स्थिति और १११ लाभ और हानि लेगा की दशा में, ------को समाप्त होने काले लेगा वर्ष के लिए उपर्युक्त कारबार

<u> -</u>		
स्थान	8	
		हस्ताक्षार
तारीस		लेसाकाः

की लाभ या हानि।।

टिप्पण :-

यह रिपोर्ट निम्निलिशित द्वारा दी जाएगी:
[1] वार्ट अकाउँट अधिनियम, 1949 १1949 का 38 १

के लथान्तर्गत् कोई वार्ट सकाउन्टेंट; या

[1] कोई व्यक्ति जो किसी राज्य की बाबत.

कंपनी अधिनियम, 1956 १1956 का 1 १ की धारा

226 की उपधारा १२ के उपबंधों के अनुसार,

उस राज्य में रिजस्ट्रीक्त कंपनियों में लेशा परीक्षक
के रूप में नियुक्त होने के लिए खबदार है।

2. जहाँ, इस रिपोर्ट में किथित किसी विषय का उत्तर नक्रारत्मक या कुछ हाते थे साथ दिया जाता है तो रिपोर्ट में उसके कारणों का तथन होगा ।"

> क्षेत्रीति श्रीवास्तव १ अक्षर सचित्र, भारत सरकार

पांठलैं० 142776/98-टीपीएल अवर सचित, भारत सरकार

अधिमुचना सं० १०७००

मूल नियम जिस्सूचना सँ० काठआठ १६० हुआहे. तारीस २६०३०।१६२ इंगरा अधिस्कृषित किए गए थे और अतिम संशोधन अधिस्वता सँ० काठआठ -- 13- हुआहे. तारीस होटी 1999 हारा किया गया था ।